

**विज्ञा सैनिक कल्याण सोलन तालीम व जिला सोलन हिमाचल प्रदेश की
इण्डिया दिवस निधि के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।**

अवधि :- 4/91 से 3/97

1. वर्तमान लेखा परीक्षा :-

अवधि 4/91 से 3/97 के निधि लेखाओं की वर्तमान लेखा परीक्षा, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं, श्री संगीत भूषण, अनुभाग अधिकारी, ले0प0 द्वारा दिनांक 9. 10. 97 से 15. 10. 97 के दौरान सम्पन्न की गई । मात 4/91, 9/91, 4/92, 10/92, 6/93, 3/94, 10/94, 3/95, 3/96, 9/96 व 3/97 के लेखों की विस्तृत जांच पड़ताल की गई । लेखा परीक्षा से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया ।

2. वित्तीय स्थिति :-

अनुसंधान अवधि 4/91 से 3/97 तक निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी ।

वर्ष	आदि बैल	आय	जोड़	व्यय	अन्तिम बैल
1991-92	12541.51	25225.35	37769.86	29730.00	8039.86
1992-93	8039.86	19998.75	28036.61	22543.00	5493.61
1993-94	5493.61	27346.35	32839.96	18532.00	14307.96
1994-95	14307.96	60644.50	74952.46	72725.00	2227.46
1995-96	2227.46	16945.04	21172.50	16040.00	5132.50
1996-97	5132.50	31644.00	36776.50	26936.00	9840.50

3. भारी मात्रा में निधि राशियों की हस्तगत रहे जाने बारे :-

निधि की प्राप्त राशियों की दुरन्त ढंग में कमा न अर्थात् इन्हें अनुसंधान अवधि के दौरान निम्न विवरण अनुसार हस्तगत रहे जाने से यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित अधिकारी/अधीनकारी द्वारा प्राप्त राशियों का अरथाई रूप से दुरुपयोग किया जाता रहा, जो कि गम्भीर अनियमितता है। इस तरह राशियों की भारी मात्रा में हस्तगत रहने से कल्याण की भी हानि हुई । अतः यह गम्भीर मामला निदेशक, सैनिक कल्याण, हरिद्वार तथा प्र0 के निधि ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है इन राशियों की हस्तगत रहने पर क्या की रूप में हुई हानि की जांच से पूर्ण संतुष्टि करके अनुमान से जा रही अनुसंधान पर लागत कराया जाए ।

मास	राशि जो देवा हुक में देय दिमाई गई ।	मास	राशि जो देवा हुक में देय दिमाई गई ।
8/92	956.00	3/94	1761.00
2/93	532.00	4/94	4458.00
4/93	450.00	5/94	3764.00
5/93	830.00	1/95	2234.00
9/93	1435.00	2/95	2974.00
10/93	1435.00	1/96	1851.00
11/93	1435.00	2/96	1569.00
12/93	3707.00	4/96	794.00
1/94	6064.00	12/96	1251.00
2/94	3453.00	2/97	1500.00

4. अनियमित व्यय :-

निधि में से किया गया निम्नलिखित व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है । अतः व्यय का नियमितकरण सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति करके कराया जाए व अनुपातना से इस विभाग को सुचित किया जाए अन्यथा व्यय की गई समस्त राशिओं की उचित स्त्रोत से वसूली करके तुरन्त निधि में जमा कराया जाये ।

मास	राशि	टिप्पणी
12/91	11,000.00	अवधि 2/90 से 10/90 तक टेलिफोन बिल अदा करने हेतु ।
3/92	4,950.00	विज्ञापन शुल्क की सुरम्मा हेतु ।
4/92	2,100.00	अवधि 11/90 से 2/92 तक टेलिफोन बिल अदा करने हेतु ।
12/94	1,348.00	4½ विक्टोरिय चारकोल के शुल्क हेतु ।
12/94	2,000.00	विज्ञापन शुल्क की सुरम्मा हेतु
2/95	4,727.00	अवधि 8/94 से 12/94 तक टेलिफोन बिल अदा करने हेतु ।
3/96	2,886.00	अवधि 6/95 से 12/95 तक टेलिफोन बिल अदा करने हेतु ।

29,011.00

5. भूतपूर्व रैनिजों को वित्तीय सहायता के रूप में अदा की गई रु० 19,100. व्यय की राशि के संबंधित दुर्विनियोजन का मामला :-

श्री आर.आर. वर्मा, उप निदेशक, जिला रैनिज कन्वन्शन, सोलन द्वारा स्थापित निधि में से भूतपूर्व रैनिजों को वित्तीय सहायता

तत्कालीन पृष्ठ 3 पर...

के रूप में निम्न विवरणानुसार रु० 19, 100/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया झाँपा गया । परन्तु उक्त राशि का भुगतान करते समय उन द्वारा न तो प्रार्थियों से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये और न ही नियमानुसार अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण की गई । उन द्वारा यह टिप्पणी दी गई कि उक्त राशि मेरे द्वारा अदा की गई । इसके अतिरिक्त नियमों की उल्लंघना करते हुए उन द्वारा उक्त भुगतान किया गया , जबकि वह उक्त भुगतान करने हेतु तत्तम नहीं थे । इस विषय में हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या जी.ए.टी. १२१/१२३/११-११, दिनांक 3. 1. 91 द्वारा जिलाधीश, जो कि निधि के अन्वय है, को प्रत्येक मामले में रु० 500/- रुपये तक एवं उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण को रु० 100/- रुपये तक प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु शक्तियाँ प्रदान की गई थी, लेकिन उप निदेशक द्वारा उक्त भुगतान जिलाधीश, सौजन की स्वीकृति लिये बिना अपने ही स्तर पर स्वेच्छानुसार किया गया झाँपा गया । बिना औपचारिकताएँ पूर्ण किए ही एवं तत्तम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए ही इन राशियों का भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है । यह मामला निदेशक, सैनिक कल्याण, हमीरपुर, हि० प्र० के ध्यान में दुरन्त उचित कार्यवाही एवं भुगतानों की वास्तविकता की जाँच हेतु लाया जाता है । जाँच के परिणामों से प्रोत्तु इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

दिनांक	राशिजो अदा की गई ।	अदा की गई राशि
30.5.91	श्री मदन लाल	100.00
6. 1. 92	श्री नतीब सिंह	100.00
-"-	श्री प्रीतम सिंह	100.00
-"-	श्री परस राम	100.00
-"-	श्री लख राम	100.00
23-2.93	श्री नन्दू	500.00
-"-	श्रीमती सुमन	500.00
20.3.93	श्री नारायण दास	500.00
-"-	श्री गण्डा राम	500.00
12.5.93	श्रीमती अमृत	500.00
20. 8. 93	श्री पूथा सिंह	500.00
-"-	श्री हेतु राज	500.00
10.9.93	श्रीमती फमला देवी	500.00
-"-	श्री राम प्रकाश	500.00
-"-	श्री रती राम	500.00
-"-	श्री हेतु राम	500.00
-"-	श्री देवी लयाल	500.00
-"-	श्री भगत राम	500.00
-"-	श्री लाल सिंह	500.00
27-1.94	श्रीमती नानदा देवी	300.00
-"-	श्री गणेश दास	500.00

26.2.94	श्री सन्त राम	500.00
29.3.94	श्री रती राम	500.00
11.5.94	श्री भगवान दास	500.00
12.5.94	श्री रत्न चन्द	500.00
--	श्रीमती अमरजीत कौर	500.00
27.5.94	श्री सुन्दर सिंह	500.00
--	श्री दुर्गा राम	500.00
2.6.94	श्रीमती राम मासरी	500.00
--	श्री सुन्दर सिंह	500.00
--	श्री अशुत	500.00
--	श्री दोस्त राम	500.00
2.6.94	श्री गोवर्धन लाल	500.00
15.6.94	श्री जीत सिंह	500.00
--	श्री लक्ष्मण सिंह	500.00
--	श्री राम दास	500.00
--	श्री प्रीतम सिंह	500.00
18.6.94	श्रीमती करोन देवी	500.00
14.7.95	श्रीमती प्रारकी देवी	500.00
31.7.95	श्री धन बहादुर	500.00
19.8.95	श्रीमती देवी देवी	500.00
31.1.96	श्रीमती सेवता देवी	500.00
1.2.96	-- कम्ता देवी	500.00

जोड़ 19, 100.00

6.

भूतपूर्व सैनियों को वित्तीय सहायता के रूप में रु० 37,950/- रुपये की राशि स्वीकृति दिये बिना भुगतान धारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या जी.ए.पी. [ए] [एफ] [4] 23/77-II- दिनांक 3.1.91 में दिए गए प्रावधानानुसार उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण भूतपूर्व सैनियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रत्येक मास में वेतन रु० 100/- रुपये तक की राशि की स्वीकृति हेतु शर्तिया प्रदान की गई थी। लेकिन श्री आर.आर. वर्मा, उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन द्वारा उक्त आदेशों की उल्लंघना करके वित्तीय सहायता के रूप में निम्न-विवरणानुसार रु० 37,950/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया। नियमों की उल्लंघना धारे उक्त अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही के अतिरिक्त भुगतान की गई राशियों को तत्तम अधिकारी से जर्जोत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए अन्यथा इन राशियों की नोटियों से प्राप्त कर्तव्य करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

मात	मातमलों की संख्या	अदा की गई राशि	अदा की गई राशि
4/91	3	500/=	1500.00
3/92	4	-"-	2000.00
4/92	5	-"-	2500.00
-"-	1	450/=	450.00
10/92	2	500/=	1000.00
2/93	12	-"-	6000.00
3/93	4	-"-	2000.00
5/93	4	-"-	2000.00
8/93	2	-"-	1000.00
9/93	8	-"-	4000.00
1/94	1	-"-	500.00
-"-	1	300/=	300.00
2/94	1	-"-	300.00
-"-	1	500/=	500.00
3/94	8	-"-	4000.00
5/94	5	-"-	2500.00
6/94	10	-"-	5000.00
12/94	1	-"-	500.00
-"-	1	400/=	400.00
1/95	2	500/=	1000.00
2/95	1	-"-	500.00

जोड़ :- 37,950.00

7. अनु आपत्ति विवरणिका :-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया ।

8. निष्कर्ष :-

लेगाओं के रख-रखाव में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वर्तमान लेगा परीक्षा प्रक्रिया के पैरा 5 और 6 सहायिकाओं के सुझावार्थी शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु लाये जाते हैं।

हस्ता/-

उप निदेशक,

स्थानीय लेगा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, जिला-1710 2.

पुनर्जांच संख्या: फिन/स.स. (एच) 2, डा/ 15/ 14/32/76, दिनांक, जिला-2.

प्रतिरूपि सुझावार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 23 JUL 1998

टीपिंग: 1) उप निदेशक, जिला लेनिंग अस्थापन, सोलन, जिला सोलन को इस आशय के

तत्कालीन फुट 6 पर...

साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंतिम प्रतियोगिता पर की गई कार्यवाही का सटीक उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजे ।

2।

निदेशक, राज्य तैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर [दि० २०] ।

3।

सचिव [सामान्य प्रशासन विभाग] दि० २० शिमला-2।

4।

जिलाधीश, सोलन जिला सोलन को सूचार्थ प्रेषित की जाती है ।

5।

श्री संगीत भूषण, अनुभाग अधिकारी, दारा.....



उप निदेशक,

अ.प्र.स्थानीय सेवा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.